न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैम्प जबलपुर

निव -1428-I-16

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक	हीरालाल प्रधान (अनु.ज.जाति) उम्र 36 वर्ष पितादादूलाल प्रधान निवासी 308 चिमनी प्लाट, गुलजार होटल के पास, मदनमहल जबलपुर म0प्र0
	विरूद्ध
गैर पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक	1- रविन्द्र श्रीवास पिता श्री मोहनलाल श्रीवास निवासी म.नं. 2135 हाउबाग गोरखपुर, जबलपुर
	2- श्री राम किशोर सेन पिता श्री रम्मू लाल सेन, निवासी 393 पुरानी बस्ती ग्वारीघाट ग्वारीघाट वार्ड जबलपुर म0प्र0
	3- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर

28/4/16

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता, 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक क्रमांक37/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 से व्यथित होकर निम्न वर्णित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की गई है :-

रिवीजन के तथ्य

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम नरई प.ह.नं. 49 नया 64 रा.नि. मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 11/2, 133/2 रकबा क्रमशः 0.02 एवं 0.25 हैक्टर कुल रकबा 0.27 हैक्टर भूमि अनावेदक गैर/आदिम जनजाति के सदस्य श्री रविन्द्र श्रीवास पिता श्री मोहनलाल श्रीवास एवं श्री रामकिशोर सेन पिता श्री रम्मूलाल सेन को विक्रय करना चाहता है, अतः विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाये । उक्त आवेदन जिलाध्यक्ष ने आदेश दिनांक 15-12-2014 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन अभिमत सहित भेजने के निर्देश दिए गए । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार से जांच कराकर अपना प्रतिवेदन कलेक्टर को पेश किया गया । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा शीघ्र सुनवाई किए जाने का आवेदन जिलाध्यक्ष महोदय के समक्ष दिया जिसे जिलाध्यक्ष महोदय ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त कर प्रकरण 13-6-2016 के लिए नियत किया है, कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

आधार

1. यहकि, कलेक्टर ने अपने आदेश में आवेदक शीघ्र सुनवाई हेतु कोई समाधानकारक

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 1428-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-5-16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया एवं उनकी ओर से की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक हीरालाल प्रधान पिता दादूलाल प्रधान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम नरई प.ह.नं. 49 नया 64 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 11/2, 133/2 रकबा क्रमशः 0.02 एवं 0.25 हैक्टर कुल रकबा 0.27 हैक्टर भूमि अनावेदक गैर/आदिम जनजाति के सदस्य श्री रविन्द्र श्रीवास पिता श्री मोहनलाल श्रीवास एवं श्री रामकिशोरं सेन पिता श्री रम्मूलाल सेन को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, जबलपुर को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष शीघ्र सुनवाई कर अनुमति देने हेतु आवेदन पेश किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के कारण तथा आवेदक को पारिवारिक कारणों से पैसों की आवश्यकता होने के कारण उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया गया था ऐसी स्थिति में कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर करना चाहिए था उनके द्वारा ऐसा न करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन को खारिज कर प्रकरण में जुलाई माह की तिथि नियत करदी है जो न्यायोचित नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में इस न्यायालय द्वारा ही उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन का निराकरण गुणदोष पर करते हुए उन्हें आवेदित भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये । मेरे द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं, नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंतु इश्तहार पर कोई आक्षेप नहीं आया । प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, ग्राम में जनजाति के लोग हैं किंतु वे भूमि कय करना नहीं चाहते । भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास ग्राम ग्राम टिकरिया में 2.65 हैक्टर भूमि शेष बचती है । अतः प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम नरई प.ह.नं. 49 नया 64 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0।428-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्थित भूमि खसरा नं. 11/2, 133/2 रकबा क्रमशः 0.02 एवं 0.25 हैक्टर कुल रकबा 0.27 हैक्टर भूमि को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । सदस्य	

हीरालाल प्रधान विरूद्ध रविन्द्र श्रीवास आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1428–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–9–16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी द्वारा सी0पी0सी0 की धारा 151 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया तथा उन्हें उक्त आवेदन पर सुना गया । उनके द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण कमांक निग0 1428–एक/16 में दिनांक 16–5–16 को पारित किए गए अंतिम आदेश के पैरा 2 की 7वीं एवं अंतिम पृष्ठ की पहली लाइन में टंकण की त्रुटिवश खसरा नं. 144/2 के स्थान पर 133/2 टाइप हो गया है, अतः उक्त त्रुटि को सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है । आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं मूल प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि अभिलेख से होती है । अतः न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 16–5–16 को पारित आदेश के पैरा 2 की 7 वीं लाइन एवं अंतिम पृष्ठ की पहली लाइन में खसरा नं. 133/2 के स्थान पर 144/2 पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग माना जायेगा । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी अनुरोध किया गया उक्त त्रुटि के कारण वे अभी तक विकयपत्र का निष्पादन नहीं करा पाए हैं । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शर्त कमांक 3 की अनुसार विकयपत्र का पंजीयन कराने की अवधि दिनांक 16–9–16 को समाप्त हो रही है, उनके द्वारा 4 माह का समय विकयपत्र का पंजीयन कराने हेतु दिए जाने का अनरोध किया गया । अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित शासकीय अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है । अतः न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए आवेदक को विकयपत्र के निष्पादित कराने हेतु 3 माह का समय और प्रदान किया जाता है । सदस्य	05.9.16 D.K.Shukla